

पत्रांक:-..... /

सं०सं०-03 / उ०नि० / योजना(औ०प्रो०नीति)-02 / 2015

प्रेषक:

एस० सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*।

विषय :- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वृहत उद्यम प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों के लिये घोषित विभिन्न रियायतें एवं सुविधाओं हेतु एवं उद्योगों के स्थापना/पुनर्वास के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड/वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुपालन किये जाने तथा रूग्ण उद्योगों के लिए गठित शीर्ष समिति द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों को देने/प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल ₹3974.17 लाख (उनचालीस करोड़ चौहत्तर लाख सतरह हजार) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में औद्योगिक प्रगति को तीव्र करने तथा पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वृहत उद्यम प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों के लिये घोषित विभिन्न रियायतें एवं सुविधाओं हेतु एवं उद्योगों के स्थापना/पुनर्वास के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड/वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुपालन किये जाने तथा रूग्ण उद्योगों के लिए गठित शीर्ष समिति द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों को देने/प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल ₹3974.17 लाख (उनचालीस करोड़ चौहत्तर लाख सतरह हजार) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80- सामान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160-प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड P2852801020160, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5432, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद से ₹3096.42 लाख (तीस करोड़ छियानवे लाख बिहयालीस हजार) मात्र एवं मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80- सामान्य, लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0102-इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड P2852807890102, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5428, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद से ₹855.48 लाख (आठ करोड़ पचपन लाख अड़तालिस हजार) मात्र तथा मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 08- उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0101-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड P2852087960101, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद से ₹22.27 (बाईस लाख सताईस हजार) मात्र बजट उपबंध में उपलब्ध राशि से विकलित होगा जिसके लिये बालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के राज्य योजना आय-व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध है।

3. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक०), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

4. निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा इकाईवार निर्गत स्वीकृति आदेश के आलोक में राशि की निकासी सहायक निदेशक (तकनीकी), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी तथा स्वीकृति आदेश में दिये गये निदेशानुसार भुगतान सम्बन्धित इकाई/संस्था को उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

5. योजना के नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना होंगे, जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे।

6. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक-4263 वि० दिनांक-20.05.2014 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि योजना उद्ध्यय के अंतर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि की निकासी के लिए योजना कोड तथा विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।

क्रमशः पृष्ठ-02...

8. प्रस्ताव में मंत्रीपरिषद् की बैठक दिनांक-28.06.2016 के मद सं०-14, में स्वीकृति संचिका संख्या-03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)-02/2015 के पृष्ठ 124/टि० पर प्राप्त है।
9. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)-02/2015 के पृष्ठ 128/टि० पर दिनांक-11.07.2016 को प्राप्त है जिसका डायरी संख्या-163/OSD दिनांक-08.07.16 है।
10. वित्त विभागीय पत्रांक-2561 दिनांक-17.06.98 की कंडिका-2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-8244 दिनांक-02.08.2010 के दिशा निदेशों के अनुपालन में किया जायेगा।
11. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या:-7355/वि०(2), दिनांक: 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-...../

03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति), -02/2015

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-...../

03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति), -02/2015

प्रतिलिपि-सहायक निदेशक (तक०), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-...../

03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति), -02/2015

प्रतिलिपि:- निदेशक (तक०), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-11.07.16

ज्ञापांक:-2493/

03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति), -02/2015

प्रतिलिपि:-योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी-1 (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 (उ०नि०), उद्योग निदेशालय/प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग/प्रशाखा-1 (सरकार) योजना शाखा को तीन अतिरिक्त प्रतियों एवं प्रशाखा-3, उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।